

## **उद्देश्यों और कारणों का कथन**

इस विधेयक का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए केंद्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करना है। खंडों पर टिप्पण विधेयक के विभिन्न उपबंधों को स्पष्ट करते हैं।

**नई दिल्ली,  
8 जुलाई, 2004**

**पी० चिदम्बरम**

---

### **भारत के संविधान के अनुच्छेद 117 और अनुच्छेद 274 के अधीन राष्ट्रपति की सिफारिश**

[वित्त मंत्री श्री पी० चिदम्बरम के, लोक सभा के महासचिव को भेजे गए, तारीख 8 जुलाई, 2004 के पत्र सं० फा० 2(1)-बी०(जी०)/2004 का हिंदी अनुवाद]

राष्ट्रपति, प्रस्तावित विधेयक की विषय-वस्तु से अवगत होने पर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 274 के खंड (1) के साथ पठित अनुच्छेद 117 के खंड (1) के अधीन, वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2004 को लोक सभा में पुरःस्थापित किए जाने की सिफारिश करते हैं और साथ ही लोक सभा से विधेयक पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

2. यह विधेयक लोक सभा में 8 जुलाई, 2004 को बजट पेश किए जाने के तुरंत बाद पुरःस्थापित किया जाएगा।